

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

No.

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2012/पौष 16, 1933

31] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2012/PAUSA 16, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2012

(आय-कर)

का.आ. 34(अ).—जबिक, आय पर एवं पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जार्जिया की सरकार के बीच करार पर 24 अगस्त, 2011 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे;

और जबिक, उक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख 8 दिसम्बर, 2011 है, जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 31 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त करार प्रवृत्त होने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

और जबिक, उक्त करार के अनुच्छेद 31 के पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (क) में व्यवस्था की गई है कि उक्त करार के उपबंध, भारत में उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें वह करार प्रवृत्त हुआ है, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद स्रोत पर काटे गए करों, प्रदत्त अथवा क्रेडिट की गई आय के संबंध में और आय पर अन्य करों, और पूंजी पर करों के संबंध में उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें वह करार प्रवृत्त हुआ है, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, प्रभार्य करों पर लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध, जैसा कि उससे संलग्न अनुबंध में निर्धारित किया गया है भारत संघ में 1 अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त होंगे।

[अधिसूचना सं. 04/2012/फा. सं. 503/05/2006-एफटोडी-[]

संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर तथा पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

जार्जिया की सरकार

ुक के बीच करार

17、1800年18日,李田二十二年十月日本

भारत गणराज्य की सरकार और जार्जिया की सरकार, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद - 1 शामिल व्यक्ति

特权事员的

यह केरार उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

to be made a land hade their

ः कि हर । स्वयं का अलो कार्ये । सम्मिति कर

- हुए को कि अप कि वार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा द्वारा आय पर तथा पूंजी पर क्यां के लगए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।
- 2. इन्हें आय पर तथा पूंजी करों, कुल आय, कुल पूंजी पर अथवा आय अथवा पूंजी, के तत्वों पर लगाए गए सभी करों के रूप में माना जाएगा जिसमें चल अथवा अचल संपत्ति

के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए कर तथा उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशि पर लगाए गए कर शामिल है।

- 3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषतया इस प्रकार हैं :
 - (क) भारत के मामले में,
 - (i) आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है;
 - (ii) संपत्ति कर जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है;

(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा)

- (ख) जार्जिया के मामले में,
 - (i) लाभ कर;
 - (ii) आय कर;
 - (iii) संपत्ति कर:

(जिसे इसके बाद "जार्जिया कर" कहा जाएगा) ।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समान करों पर भी लागू होगा जो किसी भी करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वूपर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने संबंधित कराधान कानूनों में किए गए हों ।

अनुच्छेद - 3 सामान्य परिभाषाएं

- 1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) "भारत " पद से अभिप्रेत है भारत गणराज्य का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र तथा इसके साथ-साथ कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र, जिस पर समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सहित भारतीय कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हो ;

- (ख) "जार्जिया" पद का अर्थ जार्जियन विधान द्वारा इसकी भू राज्य क्षेत्र, इसकी अवमृदा तथा इसके ऊपर वायु स्थान, आन्तरिक जल तथा प्रादेशिक समुद्र, समुद्र तल, इसकी अवमृदा तथा उनके ऊपर वायु स्थान सहित परिभाषित राज्य क्षेत्र है जिनके बारे में जार्जिया के समीपस्थ क्षेत्र के साथ-साथ इसके क्षेत्राधिकार तथा प्रभुसत्ता में अधिकार होंगे, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा इसके प्रादेशिक समुद्र के साथ महाद्वीपीय जलगठन सीमा जिनके बारे में जार्जिया के अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार इसके प्रभुसत्ता अधिकारों तथा क्षेत्राधिकार के अधिकार होंगे।
- (ग) " एक संविदाकारी राज्य " और "दूसरा संविदाकारी राज्य " पदों का तात्पर्य संदर्भ की अपेक्षानुसार भारत गणराज्य अथवा जार्जिया है ;
- (घ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई समूह और कोई अन्य ऐसी सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई के रूप में माना जाता है;
- (ड.) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता ;
- (च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" 'पद से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है
- ं(छ) "उद्यम" पद पर किसी कारोबार के संचालन पर लागू होता है ;
 - (ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है, किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो प्रक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थानों के बीच ही चलाया जाता है ;
 - (झ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :
 - (i) भारत में : वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि :

- (ii) जार्जिया में : वित्त मंत्रालय अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- (ञं) संविदाकारी राज्य से संबंधित "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :
 - (i) किसी संविदाकारी राज्य की नागरिकता अथवा राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ;
 - (ii) कोई कानूनी व्यक्ति अथवा भागीदारी अथवा एसोसिएशन, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत उस संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;
- (ट) "कर" पद से संदर्भ के अनुसार, भारतीय अथवा जार्जिया कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी, जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यैह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो;
- (ठ) "वित्तीय वर्ष" पद से अभिप्रेत है :
 - (i) भारत के मामले में : अप्रैल माह की पहली तारीख को आरम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष ;
 - (ii) जार्जिया के मामले में : जनवरी, माह की पहली तारीख को शुरू होने वाला कैलेंडर वर्ष ;
- 2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक इस करार को किसी भी समय लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उन करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय है, उस राज्य के लागू कर कानूनों के अन्तर्गत कोई अर्थ, उस राज्य के अन्य कानूनों के अंतर्गत उस पद को दिए गए अर्थ पर प्रभावी होगा।

अनुच्छेद - 4 निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध-स्थान, अथवा किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनियक उप-प्रभाग अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर अथवा उसमें स्थित पूंजी पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

- 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी:
- क) उसे केवल उसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;
- ज्यदि उस राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

कि विकास का कि साम कि

- घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमित द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करने का प्रयास करेंगे।
- 3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी है तो, यह माना जायेगा कि वह केवल उसी राज्य का निवासी है जिसमें उसका प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है। यदि वह राज्य जिसमें इसके प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है निर्धारित नहीं किया जा सकता तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति द्वारा प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ऐसे करार की अनुपस्थिती से ऐसे व्यक्ति को करार के अन्तर्गत लाभ लेने के प्रयोजनार्थ किसी भी संविदाकरी राज्य का निवासी नहीं माना जाएगा।

तोग्लाह के तिमुख्य प्रका जाति के कार्य प्रधा में प्राप्त हुए तो प्राप्त के कार्य के किस देशिय विभाग प्रशा किस प्राप्त प्रति कि प्रमुख्येद - 5 निल्ल एन्ट के प्रदान के किस देशिय स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है। अस्ति का अस्ति किया कारोक कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया

3 - 5685V.

2. स्थायी संस्थापन पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे : किएक स्वाहर हराय

(ग) कोई कार्यालय;

- प्रमाण करें चलाने के प्रयोगानार्थ कार्यमा कार्यकलाप को चलाने के प्रयोगानार्थ कार्यमा
 - (ङ) कोई कार्यशाला ;
- (च) खान, तेल या गैस का कुआं, उत्खनन या प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण के अन्य स्थान ; किकी के प्राप्तकार प्रति के संयोजन के उत्प्राप्त के किकी किकी के प्राप्तकार प्रति के किकी का स्थान ; के निर्वार स्थान के निर्वार के निर्वर के निर्वार के निर्वर के निर्वार के निर्वर के निर्वार के निर्वार के निर्वार के निर्वर के निर्वार के निर्वर के निर्वार के निर्वर के निर
- 3. (क) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप तभी एक स्थायी संस्थापन बनेगा यदि प्राकशीप के ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 90 दिनों से अधिक समय कार्य क

प्रिक्षिण हिंदी हिंदी प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों के हाफ्र हिंदी अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से उस उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हिंदी हैं जिसका एक स्थायी संस्थापन है परन्तु केवल वहां, जहां देश के भीतर उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 90 दिनों से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए ज़ारी रहती कि हिंदी अथवा संबद्ध परियोजना हेत्।

- 4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी स्थायी संस्थापन पद में निम्निलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :
- (क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ; अध्यत्व के बीमा कि प्रयोजनार्थ जान्य कि कि प्रयोजनार्थ जान्य के बीमा मण्डारण अथवा प्रदर्शन डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित कि प्रयोजनार्थ जान्य माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना कि जोखिनों कि जोखिन कि जोखिनों कि जोखिन कि जोखिनों कि जोखिन कि जोखिनों कि जोखिनों कि जोखिन कि जोखिन
- मेडिंग थें स्वाप्त के निरुक्त प्रथाप के मान अध्या पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रिक्री स्थायी किसी स्थायी किसी स्थायी के निरुक्त फरका प्रक्ति के सिक्रिक प्रथा किसी स्थायी के निरुक्त फरका किसी किसी के निरुक्त किसी निरुद्ध के प्रथा के सिक्रिक प्रथा के निरुक्त किसी निरुद्ध के प्रथान के सिक्रिक स्थान के सिक्रिक को एजेंट के किस वाते से किस जाते हों, तो उसे इस पैरायाफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्थान की एजेंट नहीं समझा

- (ड.) उद्यम के लिए केवल प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के प्रयोजनार्थ कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
 - (च) उप-पैराग्राफ (क) से (ड.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप का हो।
- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, वहां उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में उस उद्यम के स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को :
 - (क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार को एक निश्चित स्थान से चलाता है, तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा
 - (ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो: अथवा
 - (ग) स्वयं, उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथोल्लिखित राज्य में आदतन कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो ।
- 6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, किसी संविदाकारी राज्य के बीमा उपक्रम का, पुनः बीमा से संबंधित के अलावा, अन्य संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन माना जायेगा यदि वह उस अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा स्वतंत्र स्थिति के किसी एजेंट के अलावा किसी व्यक्ति के माध्यम से उसमें स्थित जोखिमों का बीमा करता है जिस पर यह पैराग्राफ 7 लागू होता है।
- 7. ्रिकसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के सामान्य दौर से काम कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, तो उन दोनों में से किसी एक कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद - 6 अचल सम्पत्ति से आय

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय (कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय सहित) पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और कार्य करने के प्रतिफल के रूप में अस्थिर और निश्चित भुगतान के अधिकार अथवा कार्य करने के अधिकार, खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जलयान, नौकाएं और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।
- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।
- 4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7 कारोबार से लाभ्

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करे । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे ।

- 2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की संभावना तब होगी जब एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई और विशिष्ट उद्यम होता और वह उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।
- किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उस राज्य के उपबंधों के अनुसरण में तथा कर नियमों की सीमाओं के अध्यधीन उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी. जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं. जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं. भले ही वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों । तथापि, राशियों के संबंध में, यदि कोई हों, ऐसी किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी जैं। किसी स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा उसके किसी अन्य कार्यालय को उनके पेटेंट, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले रायल्टियों, फीसों अथवा अन्य समान अदायगियों के माध्यम से अथवा विशिष्ट निष्पादित सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन अथवा अन्य प्रभारों के जरिए अथवा बैंकिंग उद्यमों के मामलों के अतिरिक्त स्थायी संस्थापन को उद्यार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में अदा (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रति के अतिरिक्त) की गई हो । इसी प्रकार, किसी स्थायी संस्थापन द्वारा पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के लिए अथवा उसके अन्य कार्यालयों को अथवा निष्पादित विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध के लिए कमीशन या अन्य प्रभारों के द्वारा बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा अन्य इसी प्रकार की अदायगियों के द्वारा किसी उद्यम के मुख्यालय को अथवा किसी बैंकिंग उद्यम के मामले के अतिरिक्त किसी उद्यम के मुख्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को उधार दिए गए धन पर ब्याज के जरिए प्रभारित राशियों (वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति के प्रति के अतिरिक्त) को किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।
- 4. जहां तक एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धित से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।

- 5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।
- **6**: पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण हुए लामों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।
- 7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8 जहाजरानी और वायु परिवहन

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से उद्भूत लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9 सहयोगी उद्यम

- 1. जहां
 - (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा
 - (ख) एक ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी मामले में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकते हैं और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकता है।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि का समुचित समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद - 10 लाभांश

- 1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।
- 2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं।
- 3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय अन्य कार्पोरेट अधिकारों से प्राप्त आय के साथ-साथ शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ में भागीदारी रखती है तथा जो ऋण का दावा नहीं हो, और जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत वही कराधान ज्यवस्था लागू होती है जो शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।
- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी

राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी क्रूं अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11 ब्याज

- 1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।
- 2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज. पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- 3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि इसे निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से निम्नलिखित द्वारा अपने स्वामित्व में रखा गया हो :
- क) भारत के मामले में निम्न द्वारा;

- (i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण, अथवा
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक ; अथवा
- (iii) कोई अन्य संस्थान जिस पर पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति हुई हो; तथा
- ख) जार्जिया के मामले में निम्न द्वारा;
 - (i) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी ; अथवा
 - (ii) नेशनल बैंक ऑफ जार्जिया ;
 - (iii) कोई अन्य सरकारी एजेंसियां, जार्जिया के राजनैतिक प्रशासनिक उप प्रभाग अथवा संस्थान, जिन्हें संविदाकरी राज्यों के सक्षम प्रापधिकारियों के बीच पत्रों के आदान प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट तथा सहमत किया जा सकता है।
- 4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभ में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो तथा विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से, प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार शामिल हों । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।
- 5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितमागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उदभूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस

प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

- 6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण ग्रस्तता जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया गया है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।
- 7. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याजू की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए यह रकम अदा की गई है, उस रकम से अधिक हो जाती है, जिसके संबंध में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच, सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायिगयों के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12 रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

- 1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की अदा की गई रायिल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2. तथापि, इस प्रकार की रायिल्टियाँ या तकनींकी सेवाओं के लिए शुल्क पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि रायिल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायिल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

- 3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायिल्टियां" शब्द का अभिप्राय है किसी सािहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट के प्रयोग अथवा प्रयोगिधिकार के लिए, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए प्रयुक्त फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, योजना, गुप्त सूत्र अथवा प्रक्रिया आवा उसके प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार के भुगतान।
- (ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों की सेवाओं के उपबंध सहित कोई प्रबंध-कार्य, या तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सेवाओं के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्ब्बिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगी शामिल नहीं हैं।
- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे यदि रायिल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होते हुए दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायिल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उद्भूत होता है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायिल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा किया जाता है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
- 5. (क) एक संविदाकारी राज्य में रायित्यां या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क तब उद्भूत हुआ माना जाएगा, जब अदाकर्ता स्वयं राज्य, उसका कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई राजनीतिक प्रशासनिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा कोई निवासी हो । तथापि, जहां रायित्याँ या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायित्यों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी रायित्याँ या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया गया हो, तब ऐसी रायित्याँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उस

राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित

- (ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के तहत रायित्याँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत न हुआ हो और रायित्याँ, अधिकार अथवा सम्पित के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार से संबंधित हो अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क किसी एक संविदाकारी राज्य में निष्पादित की गई सेवाओं से संबंधित है तो वे रायित्याँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उस संविदाकारी राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा।
- 6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियाँ और तकनीकी सूचनाओं के लिए शुल्क की राशि प्रयोग, प्रयोगाधिकार या सूचना के संबंध में, जिसके लिए वह अदा की जाती है, को ध्यान में रखते हुए उस राशि से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा सहमित हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय होगा ।

अनुच्छेद - 13 पूंजीगत अभिलाभ

- 1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबारी संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

- 3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति के अंतरण द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अतंरणकर्ता एक निवासी है।
- 4 किसी कंपनी के जिसकी संपत्ति में मुख्य रूप से किसी संविदाकारी राज्य में स्थित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अचल संपत्ति शामिल है, पूंजी स्टॉक के शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों के अतिरिक्त कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसमें शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 6. पूर्ववर्ती पैराग्राफ 1,2,3,4 और 5 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद - 14 स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वरूप वाले अन्य स्वतंत्र कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितयों के अतिरिक्त, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा:
 - (क) यदि उसे अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में केवल उतनी आय पर उस दूसरे राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, जो उस निश्चित स्थान के कारण प्राप्त हुए हो ; अथवा
 - (ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अविध या अविधयां किसी बारह महीने की अविध में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद - 15 परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

- 1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो । यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर, उस दूसरे राज्य में कर लग सकता है ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा, यदि:
 - (क) प्राप्तकर्ता, संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुई किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों में दूसरे राज्य में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं;
 - (ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
 - (ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो ।
- 3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित किसी पोत अथवा वायुयान पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 16 निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायिगयों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल अथवा ऐसे ही किसी अन्य समान पद के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 17 कलाकार और खिलाड़ी

- 1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है तो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हों।
- 3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा, दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए अपने कार्य-कलापों से अर्जित आय पर लागू नहीं होंगे यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में किया गया दौरा एक या दोनों संविदाकारी राज्यों या राजनीतिक उप प्रभागों या उसके स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा समर्थित हों। ऐसे मामले में उस आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका वह वैयक्तिक मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी निवासी है।

अनुच्छेद - 18 पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्यधीन, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उसके पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद - 19 सरकारी सेवा

- 1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक प्रशासनिक उप प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा राजनैतिक उपप्रभाग अथवा प्राधिकरण के संबंध में की गई सेवाओं के लिए किसी व्यष्टि को अदा की गई पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा।
 - (ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हों और उक्त व्यष्टि उस राज्य का निवासी हो, जो:

- (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा
- (ii) मात्र सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।
- 2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपप्रभाग अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उसके किसी उप-प्रभाग अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा उसके द्वारा सृजित निधियों में से या उस के द्वारा अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।
 - (ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर तभी लगेगा, यदि उक्त व्यष्टि उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।
- 3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 20 विद्यार्थी

- 1. किसी विद्यार्थी को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, को अनुदानों, ऋणों और छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त उन अदायिगयों पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी;
 - (क) उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य के बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसको की गई अदायगियों पर ।
 - (ख) पारिश्रमिक पर जो उसे ऐसे नियोजन से प्राप्त होता है जो वह दूसरे संविदाकारी राज्य में करता है यदि ऐसा नियोजन प्रत्यक्ष रूप से उस की शिक्षा से संबंधित है।
- 2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए लागू होंगे जो कि शुरू किए गए शिक्षण अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु, किसी भी स्थिति में, किसी भी व्यष्टि को इस अनुच्छेद के लाभ उस दूसरे राज्य में उसके प्रथमतः पहुंचने की तारीख से लगातार छह वर्षों से अधिक के लिए प्राप्त नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 21 प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

गं. कोई व्यक्ति, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा उस राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे ही किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षण अथवा शोध-

कार्य या दोनों ही करने के प्रयोजन से उस राज्य का दौरा करने से तुरंत पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था तो उसे ऐसे शिक्षण अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उस दूसरे राज्य में कर लगेगा। तथापि, यह पैराग्राफ उस तारीख से केवल दो वर्षों से अनिधक की अविध के लिए ही लागू होगा, जिस तारीख से वह व्यक्ति उस प्रथमोल्लिखित राज्य का प्रथमतः दौरा करता है।

- 2. यह अनुच्छेद केवल शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू होगा, यदि ऐसा शोधकार्य सार्वजनिक हित में किया जाता है और न कि मुख्यतया किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निजी लाम के लिए।
- 3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी व्यष्टि को किसी संविदाकारी राज्य का एक निवासी समझा जाएगा, यदि वह उस वित्तीय वर्ष में जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा उसके तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उस राज्य का एक निवासी रहा हो।

अनुच्छेद -22 अन्य आय

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मूदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-पिरभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।
- 3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, यदि किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्रोतों जैसे लाटरियों, वर्ग पहेलियों, घुड़दौड़ सहित दूसरी दौड़ों, ताश और किसी भी प्रकार के अन्य खेलों अथवा जुआ अथवा किसी भी स्वरूप की शर्तों के संबंध में आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

अनुच्छेद - 23 पूंजी

- 1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति से प्राप्त पूंजी, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्वामित्व में है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में अवस्थित है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।
- 2. चल सम्पत्ति से प्राप्त की गई पूंजी, जो किसी स्थायी संस्थापन, जो एक संविदाकारी राज्य के एक उद्यम की कारोबार सम्पत्ति का भाग है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में है अथवा चल सम्पत्ति, जो किसी संविदाकारी राज्य के एक निवासी को स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध एक निश्चित स्थान से संबंधित है, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।
- 3. किसी संविदाकारी राज्य के एक उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में प्रचलित जलयानों एवं वायुयानों द्वारा प्राप्त की गई पूंजी तथा ऐसे जलयानों एवं वायुयानों के प्रचालन से संबंधित चल सम्पत्ति से प्राप्त पूंजी पर केवल उस राज्य में कर लगाया जाएगा।
- 4. किंसी संविदाकारी राज्य के एक निवासी के पूंजी के अन्य सभी तत्वों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 24 दोहरे कराधान का अपाकरण

- 1. भारत में : दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा:
 - क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूंजी का स्वामी है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार जार्जिया में कर लगाया जा सकता है, उन मामलों में भारत अनुमति प्रदान करेगा;
 - (i) उस निवासी की आय पर जार्जिया में अदा किए गए कर के बराबर की राशि की कटौती के रूप में
 - (ii) उस निवासी की पूंजी पर कर से कटौती के रूप में जार्जिया में अदा किए गए पूंजी कर के बराबर की राशि;

तथापि किसी भी मामले में ऐसी कटौती की राशि, कटौती किए जाने से पूर्व यथा संगणित आय कर अथवा पूंजी कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जो ऐसी आय अथवा पूंजी के कारण हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर जार्जिया में कर लगाया जा सकता है।

- ख) जहां करार के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय अथवा स्वामित्व प्राप्त पूंजी पर भारत में कर से छूट प्राप्त है तो, भारत फिर भी, ऐसे निवासी की बाकी आय अथवा पूंजी पर कर की राशि की संगणना करते समय उस छूट प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।
- 2. जार्जिया में : दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा :-
 - (क) जहां जार्जिया का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा ऐसी पूंजी का स्वामी है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां जार्जिया निम्नानुसार अनुमित देगा :-
 - (i) भारत में अदा किए गए आय कर की राशि के बराबर उस निवासी की आय को कर से कटौती के रूप में;
 - (ii) भारत में अदा किए गए पूंजी कर की राशि के बराबर उस निवासी की पूंजी पर कर से कटौती के रूप में ।

तथापि, ऐसी कटौती, किसी भी रूप में, कर की कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो इस आय और पूंजी पर जार्जिया में भी प्रभावी नियमों और दरों के अनुसार प्राप्त हुई होती ।

(ख) जहां करार के किसी उपबंध के अनुसरण में जार्जिया के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय तथा स्वामित्व प्राप्त पूंजी जार्जिया में कर से छूट प्राप्त है तो, जार्जिया फिर भी, ऐसे निवासी की बाकी आय अथवा पूंजी पर कर की राशि की संगणना करते समय उस छूट प्राप्त आय अथवा पूंजी को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद - 25 सम-व्यवहार

25 3 3 3

- 1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं ।
- 2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण कराधान के प्रयोजनार्थ कोई व्यक्तिगत भत्ता, राहत और कटौतियां प्रदान करने के लिए बाध्यकारी बनाना है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता हैं । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे किसी संविदाकारी राज्य को दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाई गई कर की दर से अधिक है, न ही यह अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है ।
- 3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 या अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गये ब्याज, रायित्यों तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया हो । इसी प्रकार, किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, ऐसे उद्यम की कराधेय पूंजी का निर्धारण करने के प्रयोजन से दिए गए किन्हीं ऋणों को समान शर्तों के तहत कटौती योग्य होंगे मानो वे प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अनुबंधित किए गए है।

- 4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।
- 5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी, सभी प्रकार एवं विवरण के करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 26 पारस्परिक करार विधि

- 1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों पर ध्यान किए बिना अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः उस पर ऐसा कराधान लगाया जाता है जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।
- 2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमित द्वारा उस मामले को हले करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में कोई भी समय सीमा क्यों न हो ।
- 3. यदि इस अभिसमय की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमित से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। जिसमें ऐसा आदान - प्रदान संयुक्त आयोग के जरिए किया जा सकता है जिसमें वे स्वंय अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल हों।

अनुच्छेद - 27 सूचना का आदान-प्रदान

- ाः संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को लागू करने के लिए आनुमानित रूप से संगत हो अथवा संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रमागों अथवा उनके राजनीतिक-प्रशासनिक उपप्रमागों या स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी प्रकार के विवरण वाले उन करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकृत नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।
- 2. किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो प्रथम वाक्य संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हों। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। पूर्ववर्ती सूचना के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचना को दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब ऐसी सूचना को दोनों राज्यों के कानूनों के अंतर्गत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया हो और आपूर्तिकर्त्ता राज्य का सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को अधिकृत करता हो।
- 3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :
 - क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना :

- ख) ऐसी सूचना (जिस में दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) देना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है
- ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गोपनीयता अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, और जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकृल हो (जनादेश) ।
- 4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस अन्य राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।
- 5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमित देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

अनुच्छेद - 28 राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसुली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनियक मिशन अथवा कौंसुली अधिकारियों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 29 करों की वसूली में सहायता

- 1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे । यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमित द्वारा तय कर सकते हैं ।
- 2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय अथवा कोई अन्य लिखत जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधिन ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण लागतों के संबंध में देय राशि

- 3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा । उस राजस्व दावे को उस दूसरे राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था ।
- 4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संख्राण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संख्राण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा । वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संख्राण के उपाय करेगा मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे थे, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।
- 5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया राजस्व दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी । इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संनिदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी ।
- 6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष ही लाया जाएगा । इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाहियों के लिए किसी अधिकार को सृजित करना अथवा उसे प्रदान करना हो ।
- 7. जहां, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और इससे पहले कि दूसरे संविदाकारी राज्य ने संगत राजस्व दावे को वसूल किया हो और प्रथमोल्लिखित राज्य को प्रेषित किया हो, राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:
- पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है।

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य से दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर वापस लेगा।

- 8. किसी भी स्थिति में इस अनुच्छेद के उपबंधों का अर्थ इस संबंध में किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाध्यता डालना नहीं होगा :
 - क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से भिन्न प्रशासनिक उपाय करना ;
 - ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों ;
 - ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो ;
 - घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपात में न हो ।

अनुच्छेद - 30 लाभों का परिसीमन

- 1. इस करार में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे कर अपवंचन की रोकथाम अथवा कर परिहार के घरेलू उपबंधों का अनुप्रयोग प्रभावित होगा।
- 2. इस करार के लाभ एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अथवा ऐसे निवासी द्वारा किए गए किसी संव्यवहार के संबंध में प्राप्त नहीं होंगे, यदि ऐसे किसी निवासी के सृजन अथवा सत्ता अथवा उसके द्वारा किए गए संव्यवहार का मुख्य प्रयोजन इस करार के तहत लामों को प्राप्त करना था, जो अन्यथा प्राप्त नहीं होंगे।
- 3. वैध सत्ताओं के मामले को, जिनकी प्रमाणिक कारोबारी गतिविधियां नहीं हैं, इस अनुच्छेद के उपबंधों में शामिल नहीं किया जाएगा ।
- 4. जहां एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण, दूसरे संविदाकारी राज्य में इस करार के लाभ नहीं मिलते हैं, तो दूसरे संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगो।

अनुच्छेद 31 प्रवृत्त होना

- 1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने स्वदेशी कानून के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनियक माध्यमों के जिरए संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेंगे।
- 2. इस करार को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने को दर्शाते हुए बाद की अधिसूचना की तारीख को लागू किया जाएगा ।
- 3. इस करार के उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा :-
 - क) भारत में :
 - (i) स्त्रोत पर काटे गए करों के संबंध में उस वर्ष, जिस वर्ष में करार प्रवृत्त होता है, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद अदा की गई आय पर
 - (ii) आय पर अन्य करों, और पूंजी पर करों के संबंध में उस वर्ष, जिस वर्ष में करार लागू होता हो, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में, अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभार्य करों पर ; और
 - ख) जार्जिया में
 - (i) स्त्रोत पर काटे गए करों के संबंध में उस वर्ष, जिस वर्ष में करार प्रवृत्त होता है, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई आय पर;
 - (ii) आय पर अन्य करों, एवं पूंजी पर करों के संबंध में, जो उस वर्ष, जिस वर्ष में करार लागू होता हो, के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में, जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभार्य हो ।

अनुच्छेद - 32 समापन

यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनियक माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा:

- क) भारत में :
- (i) स्त्रोत पर काटे गए करों के संबंध में उस वर्ष, जिस वर्ष नोटिस दिया
 जाता है, के अगले उत्तरवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को
 अथवा उसके बाद अदा की गई आय पर ;
 - (ii) आय पर अन्य करों, और पूंजी पर करों के संबंध में उस वर्ष, जिस वर्ष नोटिस दिया जाता है, के अगले उततरवर्ती कैलेण्डर वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभार्य करों पर, और

ख) जार्जिया में :

- (i) स्त्रोत पर काटे गए करों के संबंध में उस वर्ष, जिसमें नोटिस दिया जाता है, के अगले उततरवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई आय पर:
- (ii) आय पर अन्य करों, एवं पूंजी पर करों के संबंध में उस वर्ष, जिसमें नोटिस दिया जाता है, के अगले उततरवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभार्य करों पर ;

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार ग्यारह के अगस्त माह के चौबीसवें दिन हिन्दी, जार्जियन एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

जार्जिया की सरकार की ओर से

(एम.सी. जोशी) अध्यक्ष

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय र्जिरब कशकिशशविली) जार्जिया के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदुत

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2012

(INCOME-TAX)

S.O. 34(E).—Whereas an Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Georgia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital was signed at New Delhi on the 24th day of August, 2011;

And whereas, the date of entry into force of the said Agreement is the 8th day of December, 2011, being the date of later of the notifications of completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Agreement, in accordance with paragraph 2 of Article 31 of the said Agreement;

And whereas, sub-paragraph (a) of paragraph 3 of Article 31 of the said Agreement provides that the provisions of the said Agreement shall have effect in India in respect of the taxes withheld at source, to income paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force; and in respect of other taxes 48 Gl/12—5

on income, and taxes on capital, to taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after 1st

April of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from 1st day of April, 2012.

[Notification No. 04/2012/F. No. 503/05/2006-FTD. I] SANJAY KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

ANNEXURE

Agreement between the

Government of the Republic of India and the Government of Georgia

for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion

with respect to taxes on Income and on Capital.

The Government of the Republic of India and the Government of Georgia, desiring to conclude an Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and on Capital and with a view to promoting economic cooperation between the two countries, have agreed as follows:

Article 1

PERSONS COVERED

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

- This Agreement shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or political-administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.
- There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total_capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.
- 3. The existing taxes to which this Agreement shall apply are in particular:
- a) in the case of India:
 - (i) the income tax, including any surcharge thereon;
 - (ii) the wealth tax, including any surcharge thereon; (hereinafter referred to as "Indian tax")
- b) in the case of Georgia:
 - (i) profit tax;
 - (ii) income tax;
 - (iii) property tax; (hereinafter referred to as "Georgian Tax")
- This Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

- 1. For the purposes of this Agreement unless the context otherwise requires:
- a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

- b) the term "Georgia" means the territory defined by Georgian legislation, including land territory, its subsoil and the air space above it, internal waters and territorial sea, the sea bed, its sub-soil and the air space above them, in respect of which Georgia exercises its jurisdiction and sovereignty, as well as the contiguous zone, the exclusive economic zone and continental shelf adjacent to its territorial sea, in respect of which Georgia may exercise its sovereign rights and jurisdiction in accordance with the international law.
- c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of India or Georgia, as the context requires;
- d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
- e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- g) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
- h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- i) the term "competent authority" means:
 - (i) in India: the Finance Minister, Government of India, or its authorized representative;
 - (ii) in Georgia: the Ministry of Finance or its authorised representative;
- i) the term "national" in relation to a Contracting State means:
 - (i) any individual possessing the citizenship or nationality of that Contracting State;
 - (ii) any legal person or partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State:
- k) the term "tax" means Indian or Georgian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;

- I) the term "fiscal year" means:
 - i) in the case of India: the financial year beginning on the 1st day of April;
 - ii) in the case of Georgia, the calendar year beginning on the 1st day of January.
- 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which this Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

RESIDENT

- 1. For the purposes of this Agreement the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
 - a) he shall be deemed to be a resident only of the Contracting State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
 - b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
 - c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
 - **d)** if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. If the State in which its place of effective management is situated cannot be determined, then the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement. In the absence of such agreement, such person shall not be considered to be a resident of either Contracting State for the purposes of enjoying benefits under the Agreement.

Article 5 PERMANENT ESTABLISHMENT

- 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
- 2.

The term "permanent establishment" includes especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office:
- d) a factory;
- e) a workshop;
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources:
 - g) a sales outlet;
 - h) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others; and
- i) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on.
- 3. a) A building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith constitutes a permanent establishment only if such site, project or activities last more than 90 days.
- b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose constitutes a permanent establishment, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within the country for a period or periods aggregating more than 90 days within any 12-month period.
- 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character:
- f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
- 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:
 - a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph, or
 - b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned
 State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise;
 - c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself.
- 6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.
- 7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of the enterprise, he will not be considered an agent of independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6 INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

- 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
- 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

- 3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than toward reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.
- 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8 SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10 DIVIDENDS

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

- 3. The term dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
- 4: The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11 INTEREST

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of the State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State, provided that it is derived and beneficially owned:
 - a) In the case of India, by
 - (i) the Government, a political subdivision or a local authority; or
 - (ii) the Reserve Bank of India, the Export-Import bank of India, the National Housing bank; or
 - (iii) any other institution as may be agreed upon from time to time between the Competent authorities of the Contracting States through exchange of letters; and

- b) In the case of Georgia, by
 - (i) the Government, or a local authority; or
 - (ii) the National Bank of Georgia; or
 - (iii) any other governmental agencies, political-administrative subdivisions, or institutions of Georgia as may be specified and agreed to in an exchange of letters between the Competent authorities of the Contracting States.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in the other State independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12 ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

- 1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise according to the laws of the State, but if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.
- 3. a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films or tapes used for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
- b) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services—are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7, or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 5. a) Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a political-administrative subdivision, a local authority, or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical, services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

- b) Where under sub-paragraph (a) royalties or fees for technical services do not arise in one of the Contracting States, and the royalties relate to the use of, or the right to use, the right or property, or the fees for technical services relate to services performed, in one of the Contracting States, the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in that Contracting State.
- 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties and fees for technical services, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13 CAPITAL GAINS

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State of which the alienator is resident.
- 4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.
- 5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.
- 6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:
 - a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
 - b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any period of 12 months; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.
- 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15 DEPENDENT PERSONAL SERVICE

- 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20 and 21 of this Agreement, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
- a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State.

Article 16 DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17 ARTISTES AND SPORTSPERSONS

- 1. Notwithstanding the provisions of Articles, 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
- 3. The provisions of paragraphs 1 and 2, shall not apply to income from activities performed in a Contracting State by entertainers or sportspersons if the activities are substantially supported by public funds of one or both of the Contracting States or of political subdivisions or local authorities thereof. In such a case, the income shall be taxable only in the Contracting State of which the entertainer or sportsperson is a resident.

Article 18 PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19 GOVERNMENT SERVICE

- 1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political administrative subdivision, or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State;
- b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political-administrative subdivision or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision, or authority shall be taxable only in that State:
 - b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
- 3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration and any pension in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political-administrative or political subdivision or a local authority thereof.

Article 20 STUDENTS

- 1. A student who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall besides grants, loans and scholarships be exempt from tax in that other State on:
 - a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training; and
 - b) remuneration which he derives from an employment which he exercises in the other Contracting State if the employment is directly related to his studies.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than six consecutive years from the date of his first arrival in that other State.

Article 21 PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

- 1. A professor, teacher or research scholar who is or was a resident of the Contracting State immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college or other similar approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.
- 2. This Article shall apply to income from research only if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some private person or persons.
- 3. For the purposes of this Article, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that State in the fiscal year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding fiscal year.

Article 22 OTHER INCOME

- 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.
- 2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, if a resident of a Contracting State derives income from sources within the other Contracting State in form of lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card games and other games of any sort or gambling or betting of any nature whatsoever, such income may be taxed in the other Contracting State.

CAPITAL

- 1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6 of this Agreement, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
- 2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.
- 3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in that State.
- 4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

- 1: In India, the double taxation shall be eliminated as follows:
 - a) Where a resident of India derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Georgia, India shall allow:
 - as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Georgia;
 - (ii) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Georgia.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that portion of the income tax or capital tax as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Georgia.

b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived or capital owned by a resident of India is exempt from tax in India, India may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

- 22. In Georgia, the double taxation shall be eliminated as follows:
- a) Where a resident of Georgia derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, Georgia shall allow:
 - (i) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in India;
 - as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in India.

Such deduction in either case shall not, however, exceed the sums of tax, which would have accrued according to the rules and rates on this income and capital effective in Georgia.

cb) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived or capital owned by a resident of a Georgia is exempt from tax in Georgia, Georgia may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

- 11. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that cother State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, calso apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
- State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that cother State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, relief and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent restablishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7.

- 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties, fees for technical services and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
- 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
- 5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to the taxes of every kind and description.

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

- 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement
- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with this Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Agreement.

4 The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 27 EXCHANGE OF INFORMATION

- 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions, or of their political-administrative subdivisions, or local authorities insofar as the taxation there under is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1 and 2.
- 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
- 3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
- a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- b) to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
- 4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 28

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29 ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

- 1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.
- 2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation there under is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.
- 3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.
- 4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

- 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.
- 6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.
- 7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be
 - a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the firstmentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
 - b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the firstmentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

The competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

- 8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
 - c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice:
 - d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 30 LIMITATION OF BENEFITS

- 1. Nothing in this Agreement shall affect the application of the domestic provisions to prevent tax evasion or tax avoidance.
- State, or with respect to any transaction undertaken by such a resident, if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such a resident or of the transaction undertaken by him, was to obtain benefits under this Agreement that would not otherwise be available.
- 3. The case of legal entities not having bona fide business activities shall be covered by the provisions of this Article.
- Where by reason of this Article a resident of a Contracting State is denied the benefits of this Agreement in the other Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall notify the competent authority of the first-mentioned Contracting State.

Article 31 ENTRY INTO FORCE

- 1. Each of the Contracting States shall notify to the other, through the diplomatic channels, the completion of the procedures required by its domestic law for the bringing into force of this Agreement.
- 2. This Agreement shall enter into force on the date of the later notification indicating the completion of legal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
- 3. The provisions of this Agreement shall have effect:
- a) In India:
- i) in respect of taxes withheld at source, to income paid or credited on or after 1 April of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;
- ii) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, to taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after 1 April of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force; and
- b) in Georgia:
- in respect of taxes withheld at source, to income paid or credited on or after 1
 January of the calendar year next following the year in which the Agreement
 enters into force:
- ii) in respect of other taxes on income and on capital chargeable for any fiscal year beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force.

Article 32 TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either of the Contracting State may after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, terminate this Agreement, by giving written notice of termination to the other Contracting State through the diplomatic channels at least six months before the end of any calendar year. In such event, this Agreement shall cease to have effect:

- a) In India:
 - i) in respect of taxes withheld at source, to income paid or credited on or after 1 April of the calendar year next following the year in which the notice is given;
 - ii) in respect of other taxes on income, and taxes on capital, to taxes chargeable for any fiscal year beginning on or after 1 April of the calendar year next following the year in which the notice is given; and
- b) in Georgia:
- i) in respect of the taxes withheld at source, to income paid or credited on or after 1 January of the calendar year next following the year in which the notice is given;
- ii) in respect of other taxes on income and on capital chargeable for any fiscal year beginning on or after 1 January of the calendar year next following the year in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at New Delhi on the 24th day of August 2011, in duplicate in the Hindi, Georgian and English Languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

M.C. Joshi Chairman

Central Board of Direct Taxes

Ministry of Finance

For the Government of the Republic of India

Zurab Katchkatchishvili
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Georgia
to the Republic of India

For the Government of Georgia